सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्याः 69 /XIX/07-05 भा0स0/2003

प्रेषक,

एस0के0दास,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. आयुक्त,
कुमायूं/गढ़वाल मण्डल
उत्तराखण्ड।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 22 जनवरी, 2007

विषय-तेल और गैस संरक्षण पखवाड़ा 15 से 31 जनवरी, 2007 के मध्य मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Oil and Gas Conservation Fortnight (OGCF)-2007 प्रत्येक वर्ष 15 से 31 जनवरी, 2006 के मध्य मनाया जाता है। जिसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य अंग जैसे-यातायात, उद्योग, कृषि, वाणिज्य एवं घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा खपत को कम करने और संरक्षण के महत्व के व्यापक चेतना का प्रसार करने के लिये इन क्षेत्रों में वैयक्तिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को दिशा निर्देश और तकनीकी सहायता प्रदान करने में अग्रणी है। इन नियमित क्रियाकलापों के अतिरिक्त Petroleum Conservation Research Association (PCRA) तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियां तेल और गैस संरक्षण की तात्कालिकता और महत्व को प्रकट करने हेतु प्रत्येक वर्ष 15 से 31 जनवरी तक तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा आयोजित करती है। ताकि अधिक से अधिक ऊर्जा की बचत की जा सके। जिसकी जागरूकता हेतु समय-समय पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किये जाते है जिसमें यातायात तथा उद्योग मुख्य है।

ऑयल कम्पनी के अन्तर्गत आई0ओ0सी0/एच0पी0सी0/बी0पी0सी0एल0/जी0ए0आई0एल0 तथा आई0बी0पी0 के साथ मिलकर (PCRA) तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 से 31 जनवरी के मध्य मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभागों में, शिक्षण संस्थानों, एन0जी0ओ0एस0 तथा अन्य सामाजिक संगठनों तथा जनसामान्य को जागरूकता एवं शिक्षाप्रद कार्यक्रम आदि किये जाने हैं।

विगत वर्षों की भांति राज्य सरकारों/केन्द्र प्रदेशों में (OGCF)-2007 में इस हेतु कार्यक्रम आयोजित करते हुए ऊर्जा, तेल पदार्थ तथा गैस आदि की बचत की जा सकें। राज्यों में तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा के कार्यक्रमों को चलाने में (PCRA) तथा तेल कम्पनियाँ अपने वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, इस हेतु राज्य सरकार की एजेन्सियों जैसे पुलिस तथा जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य के तेल कम्पनियों के राज्य स्तरीय संयोजक और (PCRA) के उपक्षेत्रीय अधिकारियों को सलाह दी गयी है कि वे आप से व्यक्तिगत सम्पर्क करें और आपको तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा के क्रियाकलापों से अवगत कराए तथा अपेक्षित सहयोग की जानकारी दें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(एस0के0दास)
मुख्य सचिव।

संख्याः 69 /XIX/07-05 भा0स0/2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सहायक आयुक्त (खाद्य) कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. संभागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूं/गढ़वाल संभाग, उत्तराखण्ड।
4. परिवहन आयुक्त कार्यालय, बसंत विहार, देहरादून।
5. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून।
7. मैनेजर सेल्स, आई0ओ0सी0/बी0पी0सी0/एच0पी0सी0/एच0पी0।
8. समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।